

प्रेषक,

शिशिर,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,  
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,  
जवाहर भवन, लखनऊ ।

**संस्कृति अनुभाग-**

विषय- श्री श्री रामलीला समिति, रावतगंज, गोरखपुर द्वारा नौ दिवसीय रामलीला के मंचन हेतु प्रतिभागी कलाकारों के मानदेय मद में रु० 1 50 लाख (रु० 1 लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1392/सं0नि0-15(10)/2020-21-4 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 का कृपया सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री श्री रामलीला समिति, रावतगंज, गोरखपुर द्वारा नौ दिवसीय रामलीला के मंचन हेतु प्रतिभागी कलाकारों के मानदेय मद में रु० 1 50 लाख (रु० 1 लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्प्रक विचारोपरान्त रु० 1.50 लाख (रु० 1 लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने तथा भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्ट का अवलोकन कर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट ऑफिस मे जमा नहीं की जायेगी।
- (3) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यव विवरण, बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रु० 1 50 लाख (रु० 1 लाख पचास हजार मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42-अन्य व्यय मद मे उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(शिशिर)

विशेष सचिव।

**संख्या- 137 /2020/ 1507/(1)/वार-2020, तदिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)

विशेष सचिव।

1- यह रामलीला इन्स्ट्रुमिक्शनी जारी किया गया है, अतः इस द्वारा दर्शाये गये आवश्यकता नहीं है।

2- इस आमनादेश की प्रमाणिकना द्वारा भारत <http://chhasanadesh.up.gov.in> मे सन्धानित की जा सकती है।